कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-08/2015-16/

दिनांक : /07/2015

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत, उखीमठ

जनपद- रुद्रप्रयाग

विषय : नगर पंचायत, उखीमठ का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर एंव भाग -4 (ब)-2 में एक प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 08/2015-16/ दिनांक : /07/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-4 (ब)-1 के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मन्दिर, धर्मपुर, देहरादून

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये नगर पंचायत, उखीमठ, रुद्रप्रयाग पर निरीक्षण प्रतिवेदन

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत स्थानीय निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमती रीता पुष्पवाण - अध्यक्ष नगर पंचायत

श्री एम.एल. शाह अधिशासी अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ.

(ii) श्री हिंमाशु शर्मा, स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 21.04.2016 28.04.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2013-14 से 2015.16

भाग-दो

परिचयात्मक :

पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पंचायत, उखीमठ जिला- रुद्रप्रयाग** (अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : - 2.73 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 3115

1- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 04

2- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 12

3- (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- शून्य

4- बैठक :

5- कर्मचारियों की संख्या : - शून्य

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग 3-

लेखाओ पर टिप्पणी

1- वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कम धनराशि खर्च की गई, जिससे लगभग 60% धनराशि अवशेष रह गई।

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर पंचायत, उखीमठ** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तथा की सम्प्रेक्षा श्री सतेन्द्र कुमार स.ले.प.अ. एंव श्री हिंमाशु शर्मा स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 21.04.2016से 28.04.2016 कर सम्पादित कि गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- शून्य

यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 (अ)**	**प्रस्तर भाग-2 (ब)-2**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर		शून्य	1
		प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर		शून्य	

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख शून्य

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 3,51,196 राजकोष में जमा नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 347/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वा.आ.)/2013 दिनांक 17.01.2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि एवं उस पर ब्याज के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनराशि को राजकोष मे जमा किया जाना चाहिए।

नगर पंचायत, उखीमठ के लेखाभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में ` 3,51,196 की धनराशि लंबित पड़ी है। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

बैंक का नाम	**दिंनाक**	**धनराशि**
SBI	30.06.2014	17,218
SBI	25.12.2014	21,022
चमोली जिला सहकारी बैंक खाते पर ब्याज	27.12.2014	5,348
चमोली जिला सहकारी बैंक खाते पर ब्याज	30.03.2015	6,200
SBI	25.06.2015	16,840
SBI	25.12.2015	2,84,568
योग		**3,51,196**

यथाशीघ्र ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराये।

ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 3,51,196 इकाई के खाते में लंबित पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति नगर आयुक्त, **नगर निगम उखीमठ** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय